



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 02, 2019/भाद्र 11, 1941
No. 508] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 02, 2019/BHADRA 11, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 625(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा ऐसे अधिक्रमण के पहले किए गए कार्य या लोप होने वाले कार्य के संदर्भ को छोड़कर, भारतीय व्यापार सेवा (समूह 'क') नियम, 1977 के अधिक्रमण में राष्ट्रपति एतद्वारा भारतीय व्यापार सेवा के समूह 'क' पदों के लिए भर्ती की पद्धति और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

- (1) इन नियमों को भारतीय व्यापार सेवा (समूह 'क') नियम, 2019 कहा जाएगा।
- (2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं: इन नियमों में, यदि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) 'प्राधिकृत संख्या' का अर्थ भारतीय व्यापार सेवा संवर्ग में ड्यूटी के पदों की संख्या से है जिसके लिए नियमित नियुक्तियों की जाती हैं;
- (ख) 'संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी' का अर्थ वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से है;
- (ग) 'आयोग' का अर्थ संघ लोक सेवा आयोग है;
- (घ) किसी ग्रेड के संबंध में "विभागीय पदोन्नति समिति" का अर्थ इन नियमों की अनुसूची-IV में यथा-निर्दिष्ट किसी ग्रेड में पदोन्नति पर विचार करने के लिए गठित समिति से है;
- (ङ) किसी ग्रेड से संबंधित "विभागीय स्थायीकरण समिति" का अर्थ इन नियमों की अनुसूची IV में यथा-निर्दिष्ट किसी ग्रेड में स्थायीकरण पर विचार करने हेतु गठित समिति से है;

- (च) 'विभागीय जांच समिति' का अर्थ इन नियमों की अनुसूची-IV में यथा-निर्दिष्ट कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) में स्थापन पर विचार करने तथा भारतीय व्यापार सेवा में विभिन्न पदों के लिए गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करने के लिए गठित समिति से है;
- (छ) 'ड्यूटी पद' का अर्थ अनुसूची-I में शामिल किसी भी पद से है चाहे वे स्थायी या अस्थायी हो;
- (ज) 'परीक्षा' का अर्थ आयोग द्वारा समय-समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सेवा के पदों पर भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा से है;
- (झ) "सरकार" का अर्थ भारत सरकार से है;
- (ञ) "ग्रेड" का अर्थ अनुसूची-I के कालम-(2) में विनिर्दिष्ट किसी भी ग्रेड से है;
- (ट) "ओबीसी" का अर्थ अन्य पिछड़े वर्गों से है जिसका अर्थ समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.आ.सं. 36012/22/93-स्थापना (एससीटी) में प्रदान किए गए अर्थ के समान है;
- (ठ) "अधिकारी" का अर्थ सेवा के सदस्य से है।
- (ड) किसी ग्रेड के संबंध में "नियमित सेवा" का अर्थ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उस ग्रेड में चयन के बाद ग्रेड में दी गई सेवा की अवधि से है और इसमें इन नियमों की अधिसूचना के समय पहले से सेवारत उन व्यक्तियों के मामले में वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए शामिल की गई कोई अवधि या अवधियां शामिल है जिसके दौरान कोई अधिकारी छुट्टी पर या प्रशिक्षण पर या विदेशी नियुक्ति पर नहीं होने पर उस ग्रेड में पद स्थापित होता;
- (ढ) "अनुसूची" का अर्थ इन नियमों में संलग्न अनुसूची से है;
- (ण) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा जो संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और (25) में निर्धारित किया गया है;
- (त) "सेवा" का अर्थ इन नियमों के नियम 3 के तहत गठित भारतीय व्यापार सेवा (समूह 'क') से है।

3. सेवा का गठन:

- (1) भारतीय व्यापार सेवा, समूह 'क' के रूप में ज्ञात एक गठित सेवा होगी जिसमें नियम 6 और 7 के तहत सेवा के लिए नियुक्त व्यक्ति होंगे।
- (2) सेवा में शामिल सभी पद समूह 'क' पदों के रूप में वर्गीकृत होंगे।
- (3) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व, अधिकारियों द्वारा दी गई नियमित और निरंतर सेवा जिसे संबंधित तदनुसूची ग्रेडों में नियम 3 के उप-नियम (1) में संदर्भित किया गया है, की वरिष्ठता, स्थायीकरण, पदोन्नति, गैर कार्यात्मक उन्नयन और पेंशन के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणना की जाएगी।

4. ग्रेड, प्राधिकृत संख्या और इसकी समीक्षा:

- (1) इन नियमों के लागू होने की तारीख को सेवा के विभिन्न ग्रेडों की प्राधिकृत स्थायी संख्या, प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या, उनके पदनाम और उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची-I में दिए गए विनिर्देशन के अनुसार होगा।
- (2) इन नियमों के लागू होने की तारीख को और उसके बाद सेवा के विभिन्न ग्रेडों की प्राधिकृत स्थायी संख्या वह होगी जैसा कि कार्यभार के आधार पर विविधता के अध्यक्षीन स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से समय-समय पर सरकार (अर्थात् वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग) द्वारा निर्धारित किया जाए।
- (3) आयोग और सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, व्यय विभाग (जहां कहीं भी लागू हो) और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के परामर्श से संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी सरकार द्वारा जारी सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यक्षीन समय-समय पर विभिन्न ग्रेडों के पदों की संख्या में अस्थायी वृद्धि या कमी जैसा भी आवश्यक समझा जाए, कर सकता है;
- (4) आयोग और सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, व्यय विभाग (जहां भी लागू हो) तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के परामर्श से संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी ऐसे पदों को सेवा में शामिल कर सकता है जो अनुसूची-I में शामिल पदों को छोड़कर दर्जा, ग्रेड, वेतनमान और व्यावसायिक विषय वस्तु में सेवाओं में शामिल पदों के समतुल्य हो या उक्त अनुसूची में शामिल पद को सेवा से बाहर निकाल सकता है;
- (5) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी आयोग के परामर्श से किसी अधिकारी जिसका पद अस्थायी क्षमता या स्थायी क्षमता जैसा कि उपयुक्त हो, के समुचित ग्रेड में उप-नियम (4) के तहत सेवा में शामिल है, की नियुक्ति कर सकता है और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी सामान्य आदेशों और अनुदेशों के अनुसार ऐसे ग्रेड में उसकी वरिष्ठता निर्धारित कर सकता है।

5. सेवा के सदस्य:

- (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, नामतः
 - (क) व्यक्ति जिसे नियम 6 के अंतर्गत ड्यूटी पद पर नियुक्त किया गया माना जाए; और
 - (ख) व्यक्ति जिसे नियम 7 के अंतर्गत ड्यूटी पर नियुक्त किया गया हो।
- (2) उप-नियम (1) के खंड (क) के तहत नियुक्त व्यक्ति सेवा के प्रारंभिक गठन की तारीख से उसके लिए लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा के सदस्य के रूप माना जाएगा।
- (3) उपनियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट उसके लिए लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य होगा।

6. सेवा का प्रारंभिक गठन:

इन नियमों के लागू होने की तारीख को नियमित आधार पर उस सेवा के विभिन्न ग्रेडों में ड्यूटी पद धारित करने वाले या ऐसे पदों पर पुनर्ग्रहणाधिकार धारित करने वाले भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारियों को सेवा के उपयुक्त ड्यूटी पदों और ग्रेडों पर स्थायी या स्थानापन्न क्षमता, जैसा भी मामला हो, में नियुक्त के रूप में माना जाएगा।

7. सेवा का भावी संभरण:

- (1) सेवा के प्रारंभिक गठन के बाद किसी भी ग्रेड में रिक्तियां उस तरीके से भरी जाएंगी जैसा कि इसमें इसके पश्चात प्रावधान किया जाए।
- (2) कनिष्ठ समय मान की पचास प्रतिशत (50%) रिक्तियां समय-समय पर सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाएंगी।
- (3) कनिष्ठ समय मान की शेष पचास प्रतिशत (50%) रिक्तियां अनुसूची-IV के अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर आयोग के परामर्श से अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु०) में स्तर-7 के विदेश व्यापार विकास अधिकारी की पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी।
- (4) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) को छोड़कर, वरिष्ठ समय मान और उससे उपर के पदों पर सेवा में नियुक्तियां अनुसूची-IV के अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर 'चयन' द्वारा अनुसूची-III के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी। कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) में स्थापन अनुसूची-IV के अनुसार गठित विभागीय जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर उपयुक्तता के अध्येक्षी वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। अनुसूची-IV में यथा-विनिर्दिष्ट जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान किया जाएगा।

8. वरिष्ठता:

- (1) इन नियमों के लागू होने पर सेवा के सदस्यों की सापेक्ष वरिष्ठता इन नियमों के लागू होने की तारीख से पहले यथा-निर्धारित उनके संबंधित ग्रेडों में सापेक्ष वरिष्ठता होगी:
बशर्ते कि यदि इन नियमों के लागू होने से पहले सेवा के किसी सदस्य की वरिष्ठता निर्धारित नहीं की गई है तो इसे समय-समय पर सरकार द्वारा जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (2) प्रारंभिक गठन के बाद सेवा में भर्ती हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
- (3) उपर्युक्त प्रावधानों के तहत शामिल नहीं किए गए अधिकारियों की वरिष्ठता आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

9. परिवीक्षा:

- (1) नियम 7 के उप-नियम (2) या (3) के तहत सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त उम्मीदवार दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे;
बशर्ते कि नियंत्रण अधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकते हैं;
बशर्ते यह भी कि परिवीक्षा अवधि बढ़ाने के लिए कोई भी निर्णय सामान्यतः विगत परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने के आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और संबंधित अधिकारी को उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों सहित लिखित में सूचित किया जाएगा।

- (2) परिवीक्षा या इसके विस्तार के पूरा होने पर अधिकारी को, यदि स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य माना जाता है, नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति को धारित रखा जाएगा तथा उपलब्ध स्थायी रिक्ति, जैसा भी मामला हो, के विरुद्ध यथा- समय स्थायी किया जाएगा।
- (3) यदि परिवीक्षा अवधि अथवा इसके किसी विस्तार जैसा मामला हो, के दौरान सरकार का विचार है कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो सरकार अधिकारी को कार्य मुक्त अथवा सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके पद पर प्रत्यावर्तित, जैसा भी मामला हो, कर सकती है।
- (4) परिवीक्षा की अवधि अथवा इसके किसी विस्तार के दौरान अभ्यर्थी को परिवीक्षा को संतोषजनक रूप से पूरा करने की शर्त के रूप में सरकार की अपेक्षानुसार प्रशिक्षण और अनुदेशों के ऐसे पाठ्यक्रमों में भाग लेना अपेक्षित होगा तथा परीक्षा और परीक्षणों (हिंदी में परीक्षा सहित) जैसा सरकार उपयुक्त समझे, को उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा।

10) गैर कार्यात्मक उन्नयन:-

- 1) जब भी राज्य अथवा संयुक्त संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13क (131100-216600 रु०) को छोड़कर, स्तर 10 (56100-177500 रु०) से स्तर 15 (182200-224100 रु०) के किसी ग्रेड में तैनात किया जाता है, तब सेवा के बँचों जो दो वर्षों या इससे अधिक अवधि के वरिष्ठ हैं और जिन्हें अभी तक किसी विशेष ग्रेड में पदोन्नत नहीं किया गया है, के अधिकारी को केन्द्र में उस विशेष ग्रेड में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की तैनाती की तिथि से गैर कार्यात्मक आधार पर वेतन मैट्रिक्स में वही स्तर प्रदान किया जाएगा।
- 2) वेतन मैट्रिक्स में उच्च स्तर प्रदान करने हेतु जांच के समय किसी विशेष ग्रेड वेतन में उन्नयन हेतु बैंच मार्क सहित सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों और पदोन्नति मानदंडों को पूरा करना होगा।
- 3) उपर्युक्त खंड (1) में उल्लिखित गैर कार्यात्मक उन्नयन निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा:
 - (i) समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार;
 - (ii) अनुसूची-IV में यथा-विनिर्दिष्ट जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर।

11) सेवा में नियुक्ति

सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सभी ड्यूटी पदों हेतु सेवा में सभी नियुक्तियां संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

12) भारत के किसी भाग में सेवा हेतु दायित्व और अन्य सेवा शर्तें

- (i) सेवा में नियुक्त अधिकारी क्षेत्रीय सेवाओं और सेना डाक सेवा अथवा भारत के बाहर सेवा सहित कहीं भी सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (ii) ऐसे सेवा मामले में जिनके लिए इन नियमों के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं किया गया है सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें वही होंगी जो समय-समय पर केन्द्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों पर लागू हैं।

13) अनर्हताएं: कोई व्यक्ति

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित हो; अथवा
- (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह अथवा विवाह का अनुबंध किया हो वह सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा:

बशर्ते यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह इस व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है तथा इस नियम के अनुपालन से किसी व्यक्ति को छूट देने के लिए अन्य आधार मौजूद हों।

14) छूट प्रदान करने की शक्ति:

जहां सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा व्यावहारिक है तो वह लिखित में कारण देकर तथा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी से संबंधित इन नियमों के किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकती है।

15) अपवाद:

ये नियम इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य छूट को प्रभावित नहीं करेंगे।

16) व्याख्या:

यदि इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो इस पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

अनुसूची-I

[(नियम 4 का उप-नियम (1) देखें)]

ग्रेड, पद, वेतन मैट्रिक्स में स्तर और सेवा में ड्यूटी पदों की अधिकृत संख्या

क्रम सं.	ग्रेड	पद नाम	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	अधिकृत संख्या
1	2	3	4	5
1.	उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी)	वरिष्ठ विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 (182200-224100 रु०)	01
2.	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी)	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार/ विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र/व्यापार सलाहकार	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (144200-218200 रु०)	26
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) [जेएजी (एनएफएसजी)]	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार/ निदेशक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (123100-215900 रु०)	वरिष्ठ ड्यूटी पदों (अर्थात् वरिष्ठ समय मान और इससे ऊपर के पद) का अधिकतम 30 प्रतिशत: बशर्ते कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड सहित कुल संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की अधिकृत संख्या से अधिक नहीं होगी।
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी)	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार / उप सचिव	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800-209200 रु०)	48 (एनएफएसजी सहित)
5.	वरिष्ठ समय मान (एसटीएस)	उप महानिदेशक विदेश व्यापार / अवर सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700-208700 रु०)	44
6.	कनिष्ठ समय मान (जेटीएस)	सहायक महानिदेशक विदेश व्यापार	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रु०)	49
7.	जेटीएस स्तर पर आरक्षित पद	---	---	23
8.		कुल		191

अनुसूची-II

[नियम 7 का उपनियम (2) देखें]

भारतीय व्यापार सेवा (आईटीएस) के कनिष्ठ समय मान में सहायक महानिदेशक विदेश व्यापार के पद पर सीधी भर्ती आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर होगी। सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं और आयु-सीमा निम्नानुसार होगी:

शैक्षणिक अर्हता: शैक्षणिक अर्हता भारत सरकार अथवा सिविल सेवा परीक्षा संबंधी आयोग द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार होगी।

आयु-सीमा: आयु-सीमा भारत सरकार अथवा सिविल सेवा परीक्षा संबंधी आयोग द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार होगी।

पात्रता से संबंधित निर्णय: आयोग परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में निर्णय लेगा और कोई अभ्यर्थी जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

अनुसूची-III

[नियम 7(2), 7(3) और 7(4) देखें]

भारतीय व्यापार सेवा के विभिन्न ग्रेडों में शामिल ड्यूटी पदों पर पदोन्नति होने पर अधिकारियों की नियुक्ति हेतु अगले निम्न ग्रेड में भर्ती का तरीका, पदोन्नति क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा

क्र. सं.	ग्रेड	भर्ती का तरीका	आईटीएस के विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति हेतु चयन और न्यूनतम अर्हक सेवा का क्षेत्र
1.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 (182200-224100 रु०) में उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी)	चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 (144200-218200 रु०) में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में सेवा करने वाले अधिकारी अथवा भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारी जिनकी समूह के पदों पर पच्चीस वर्षों की नियमित सेवा है जिसमें से न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में होनी चाहिए।
2.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (144200-218200 रु०) में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी)	चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु०) में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में सेवा के अधिकारी जिनकी नियमित आधार पर वहां नियुक्ति के पश्चात कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तथा गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड यदि कोई हो, में संयुक्त सेवा में आठ वर्ष की सेवा है अथवा जिनकी सेवा में समूह के पदों पर सतरह वर्ष की नियमित सेवा है जिसमें से न्यूनतम चार वर्ष की नियमित सेवा गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड सहित कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में होनी चाहिए।
3.	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (123100-215900 रु०) में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) [जेएजी(एनएफएसजी)] (संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार / निदेशक)	उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800-209200 रु०) में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में सेवा के अधिकारी जिन्होंने सेवा के सदस्य की भर्ती के आधार पर परीक्षा के वर्ष के बाद वर्ष के 1 जनवरी से सेवा के 14 वे वर्ष में प्रवेश किया है या पदोन्नति पर कनिष्ठ समयमान की चयन सूची में शामिल करने का वर्ष।
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200 रु०) में कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी) (संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार / उप सचिव)	चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा	नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रु०) में वरिष्ठ समय-मान में सेवाओं के अधिकारी
5.	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700 रु०) में वरिष्ठ समय मान (एसटीएस)। (उप महानिदेशक विदेश व्यापार / अवर सचिव)	चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा	नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में चार वर्ष की सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रु०) में कनिष्ठ समय मान सेवाओं के अधिकारी
6.	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में कनिष्ठ समय मान (जेटीएस) (सहायक महानिदेशक विदेश व्यापार)	(i) सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत (ii) चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत	(i) आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से। (ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में तीन साल की सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रु०) में विदेश व्यापार विकास अधिकारी

टिप्पणी: जहां कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अर्हकारी/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उन पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा इस तरह की अर्हकारी/पात्रता सेवा से आधे से अधिक या दो साल, जो भी कम हो, से अपेक्षित अर्हकारी/पात्रता सेवा से कम न हों और अपने कनिष्ठों जिन्होंने इस तरह की अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

अनुसूची-IV

[नियम 2 (घ), 2 (ड.), 2 (च), 7(3), 7(4) और 10(3) (ii) देखें]

पदोन्नति, स्थायीकरण, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) में नियुक्ति और भारतीय व्यापार सेवा में विभिन्न पदों के लिए गैर-कार्यात्मक उन्नयन की मंजूरी के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति और जांच समिति की संरचना।

क्र. सं.	ग्रेड/पद/स्तर	विभागीय पदोन्नति समिति/जांच समिति की रचना [कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) की नियुक्ति के लिए]	विभागीय स्थायीकरण समिति की रचना	गैर-कार्यात्मक उन्नयन की मंजूरी हेतु जांच समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 (182200-224100 रु०) में उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) (वरिष्ठ विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र)	1) अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2) सचिव, विभाग वाणिज्य - सदस्य 3) महानिदेशक, विदेश व्यापार सदस्य	लागू नहीं	1) सचिव, वाणिज्य विभाग - अध्यक्ष; 2) अपर सचिव, वाणिज्य विभाग - सदस्य; 3) विदेश व्यापार महानिदेशक।
2.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (144200-218200 रु०) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी)। (अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार/ विकास आयुक्त/ व्यापार सलाहकार)	1) अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष। 2) वाणिज्य विभाग के सचिव - सदस्य। 3) महानिदेशक विदेश व्यापार-सदस्य	लागू नहीं	1) सचिव, वाणिज्य विभाग - अध्यक्ष; 2) अपर सचिव, वाणिज्य विभाग - सदस्य; 3) महानिदेशक, विदेश व्यापार-सदस्य।
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (123100-215900 रु०) में (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) (जेएजी एनएफएसजी) (संयुक्त महानिदेशक: विदेश व्यापार/ निदेशक)	1) महानिदेशक विदेश व्यापार - अध्यक्ष। 2) संयुक्त सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-सदस्य 3) अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार (प्रशासन), डीजीएफटी मुख्यालय - सदस्य	लागू नहीं	1) सचिव, वाणिज्य विभाग - अध्यक्ष; 2) महानिदेशक विदेश व्यापार-सदस्य; 3) अपर महानिदेशक विदेश व्यापार (प्रशासन), डीजीएफटी मुख्यालय - सदस्य।
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200 रु०) में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) (संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार/ उप सचिव)	1) अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष; 2) महानिदेशक विदेश व्यापार - सदस्य; 3) अपर महानिदेशक विदेश व्यापार (प्रशासन), डीजीएफटी मुख्यालय - सदस्य; 4) संयुक्त सचिव (प्रशासन), वाणिज्य विभाग - सदस्य।	लागू नहीं	1) सचिव, वाणिज्य विभाग - अध्यक्ष; 2) महानिदेशक विदेश व्यापार सदस्य; 3) अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार (प्रशासन), डीजीएफटी मुख्यालय - सदस्य।

5.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700—208700 रु०) में वरिष्ठ समय वेतनमान (एसटीएस) (उप महानिदेशक, विदेश व्यापार/अवर सचिव)	1) महानिदेशक विदेश व्यापार डीजीएफटी अध्यक्ष; 2) अपर महानिदेशक विदेश व्यापार (प्रशासन), डीजीएफटी मुख्यालय – सदस्य; 3) निदेशक (प्रशासन), वाणिज्य विभाग सदस्य; 4) संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार (प्रशासन), डीजीएफटी मुख्यालय सदस्य।	लागू नहीं	1) सचिव, वाणिज्य विभाग – अध्यक्ष; 2) महानिदेशक विदेश व्यापार सदस्य; 3) अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार (प्रशासन), डीजीएफटी मुख्यालय – सदस्य।
6.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100—177500 रु०) का कनिष्ठ समय वेतनमान (जेटीएस) (सहायक महानिदेशक विदेश व्यापार)	1) अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष; 2) संयुक्त सचिव (प्रशासन), वाणिज्य विभाग—सदस्य; 3) अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार (प्रशासन), डीजीएफटी मुख्यालय – सदस्य। 4) संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार (प्रशासन), डीजीएफटी मुख्यालय – सदस्य।	1) महानिदेशक, विदेश व्यापार – अध्यक्ष; 2) अपर महानिदेशक विदेश व्यापार (प्रशासन), डीजीएफटी मुख्यालय— सदस्य; 3) संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार (प्रशासन), डीजीएफटी मुख्यालय— सदस्य। 4) निदेशक / उप सचिव, वाणिज्य विभाग – सदस्य।	लागू नहीं

[फा. सं. ए-12018/1/2016/मा.स.वि.-I]

अरविन्द शुक्ल, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2019

G.S.R. 625(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Trade Service (Group 'A') Rules, 1977, except as respects, things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment and the conditions of service to Group 'A' posts of the Indian Trade Service, namely:—

- Short Title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indian Trade Service (Group 'A') Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Definition.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - '**Authorised Strength**' means the strength of duty posts in Indian Trade Service Cadre against which regular appointments are made;
 - '**Cadre Controlling Authority**' means the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India;

- (c) “**Commission**” means the Union Public Service Commission;
- (d) “**Departmental Promotion Committee**” in relation to any grade, means a Committee constituted to consider promotion in any grade as indicated in Schedule – IV to these rules;
- (e) “**Departmental Confirmation Committee**” in relation to any grade, means a Committee constituted to consider confirmation in any grade as indicated in Schedule – IV to these rules;
- (f) “**Departmental Screening Committee**” means a Committee constituted to consider placement in Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) and for grant of Non-Functional Up-gradation for various posts in Indian Trade Service as indicated in Schedule – IV to these rules;
- (g) “**Duty Post**” means any post, whether permanent or temporary, included in Schedule – I;
- (h) “**Examination**” means the Civil Services Examination for recruitment to the post in the Service, specified by the Commission from time to time;
- (i) “**Government**” means the Government of India;
- (j) “**Grade**” means any of the grades specified in column (2) of Schedule – I;
- (k) “**OBC**” means Other Backward Classes having the same meaning as provided in the Department of Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8th September, 1993 as amended from time to time;
- (l) “**Officer**” means a member of the Service;
- (m) “**Regular Service**” in relation to any grade, means the period of service in the grade rendered after selection to that grade according to the prescribed procedure, and includes any period or periods taken into account for the purpose of seniority in the case of those already in service at the time of notification of these rules, during which an officer would have held that grade but for his being on leave or on training or on foreign assignment;
- (n) “**Schedule**” means a Schedule annexed to these rules;
- (o) “**Scheduled Castes**” and “**Scheduled Tribes**” shall have the same meaning as assigned to them respectively in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution;
- (p) “**Service**” means the Indian Trade Service (Group ‘A’) constituted under rule 3 of these rules.
- 3. Constitution of Service.** – (1) There shall be a constituted Service known as the Indian Trade Service, Group ‘A’ consisting of persons appointed to the Service under rules 6 and 7.
- (2) All the posts included in the Service shall be classified as Group ‘A’ posts.
- (3) The regular continuous service by the officers, as referred to in sub-rule (1) of rule 3 in the respective corresponding Grades, rendered prior to commencement of these rules shall be counted as qualifying service for the purpose of seniority, confirmation, promotion, non-functional upgradation and pension.
- 4. Grades, authorised strength and its review.** – (1) The authorised permanent strength of various Grades of the Service on the date of commencement of these rules, the number of posts in each Grade, their designation and the Level in pay Matrix attached thereto shall be specified in Schedule – I.
- (2) On and from the date of commencement of these rules, the authorised permanent strength of various Grades of the Service shall be as may be determined by the Government, (i.e. *Ministry of Commerce and Industry, Department of Personnel and Training and Department of Expenditure*), from time to time through the established procedure subject to variation depending on workload.
- (3) The cadre controlling authority may, in consultation with the Commission and the Government (Ministry of Commerce and Industries, Department of Expenditure (wherever applicable) and the Department of Personnel and Training), make temporary additions to or reduction in the strength of the posts in various grades as it may deem necessary from time to time subject to any general or special orders issued by the Government.
- (4) The cadre controlling authority may, in consultation with the Commission and the Central Government [Ministry of Commerce and Industries, Department of Expenditure (wherever applicable) and the Department of Personnel and Training], include in the Service such posts as may be equivalent to the posts included in the Service in status, grade, pay scale and professional content, other than those included in Schedule-I, or exclude from the Service a post included in the said Schedule.

(5) The cadre controlling authority may, in consultation with the Commission appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4) to the appropriate grade in a temporary capacity or in a substantive capacity as it may deem fit, and fix his seniority in such a grade in accordance with the general orders and instructions issued by the Government from time to time.

5. Members of the Service.— (1) The following persons shall be the members of the Service, namely :—

(a) A person deemed to have been appointed to duty post under rule 6; and

(b) A person appointed to duty post under rule 7.

(2) A person appointed under clause(a) of sub-rule(1) shall be deemed to be a member of the service in the appropriate grade applicable to him from the date of initial constitution of the service.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule(1) shall be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him specified in Schedule-I, from the date of such appointment.

6. Initial Constitution of the Service. — The officers of the Indian Trade Service holding duty posts in various grades of that Service on regular basis or holding lien on such posts on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the appropriate duty posts and grades in the Service in a substantive or officiating capacity, as the case may be.

7. Future Maintenance of the Service. — (1) After initial constitution of the Service, the vacancies in any of the grades shall be filled in the manner as hereinafter provided.

(2) Fifty per cent (50%) of the vacancies of Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment on the basis of Civil Services Examination conducted by the Commission in accordance with rules made by the Government from time to time.

(3) Remaining fifty per cent (50%) of the vacancies in the Junior Time Scale shall be filled by promotion of Foreign Trade Development Officer in Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400), in accordance with the provisions specified in Schedule-III in consultation with the Commission on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule-IV.

(4) Appointments in the Service to the posts of Senior Time Scale and above, except to the Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade), shall be made in accordance with the provisions of Schedule-III, by 'selection' on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule-IV. Placement to the Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) shall be made on the basis of seniority subject to suitability on the basis of the recommendations of the Departmental Screening Committee constituted in accordance with Schedule-IV. *Officers shall be granted Non-Functional upgradation on the recommendations of the screening committee as specified in Schedule-IV.*

8. Seniority. — (1) The relative seniority of the Members of the Service on commencement of these rules shall be the relative seniority in their respective grades as determined before the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any Member of the Service has not been determined before the commencement of these rules, it shall be determined by the Government in accordance with the general instructions issued by the Government from time to time.

(2) The seniority of the persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government from time to time in this regard.

(3) Seniority of officers not covered by the above provisions shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

9. Probation. — (1) Candidates appointed to the Service either by direct recruitment or by promotion under sub-rule (2) or (3) of rule 7 shall be on probation for a period of two years:

Provided that the controlling officer may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time;

Provided further that any decision for extension of the probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the officer concerned together with the reasons for doing so within the said period.

(2) On completion of the probation or any extension thereof, officer shall, if, considered fit, for permanent appointment, be retained in his appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancy, as the case may be.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof, candidate may be required by the Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examination and tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

10. Non-Functional Upgradation. – (1) Whenever an Indian Administrative Service Officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying Level 10 (Rs. 56100-177500) to Level 15 (Rs. 182200-224100), except Level 13A (Rs. 131100-216600), in the Pay Matrix, the officer belonging to batches of the Service that are senior by 2 years or more and have not so far been promoted to that particular grade, shall be granted the same Level in pay matrix on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service Officers in that particular grade at the Centre.

(2) All the prescribed eligibility criteria and promotional norms including 'benchmark' for upgradation to a particular grade pay shall have to be fulfilled at the time of screening for grant of higher level in the pay matrix.

(3) Grant of Non-Functional Upgradation referred to in clause (1) above shall be,

(i) in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time;

(ii) made on the recommendations of the Screening Committee as specified in Schedule-IV.

11. Appointment to the Service. – All appointments to the Service shall be made by the Cadre Controlling Authority for all duty posts in various Grades of the Service.

12. Liability for service in any part of India and other conditions of Service. – (i) An officer appointed to the Service shall be liable to serve anywhere, including field Services and in the Army Postal Service, or outside India.

(ii) The conditions of service of the members of the Service in respect of matters, for which no provision has been made under these rules shall be the same as are applicable to the officers of Central Civil Services, from time to time.

13. Disqualifications. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

14. Power to relax. – Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

15. Savings. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

16. Interpretation. – If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Government.

SCHEDULE – I

[See sub-rule (1) of rule-4]

Grade, Designation, LEVEL in the PAY MATRIX and Authorised Strength of Duty Posts in the Service:

Sl. No.	Grade	Designation	LEVEL in the PAY MATRIX	Authorised Strength
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Higher Administrative Grade (HAG)	Senior Development Commissioner, Special Economic Zone	LEVEL: 15 (Rs. 182200 - 224100) in the Pay Matrix	01
2.	Senior Administrative Grade (SAG)	Additional Director General of Foreign Trade/ Development Commissioner, Special Economic Zone/ Trade Advisor	LEVEL 14 (Rs 144200 - 218200) in the Pay Matrix	26
3.	Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) [JAG (NFSG)]	Joint Director General of Foreign Trade/ Director	LEVEL 13 (Rs. 123100 - 215900) in the Pay Matrix	Maximum 30% of the Senior Duty Posts (i.e. posts in the Senior Time Scale and above): Provided that the total strength, including that in the Junior Administrative Grade, shall not exceed the authorized strength of the Junior Administrative Grade.
4.	Junior Administrative Grade (JAG)	Joint Director General of Foreign Trade/ Deputy Secretary	LEVEL 12 (Rs. 78800 - 209200) in the Pay Matrix	48 (including NFSG)
5.	Senior Time Scale (STS)	Deputy Director General of Foreign Trade/ Under Secretary	LEVEL 11 (Rs. 67700 - 208700) in the Pay Matrix	44
6.	Junior Time Scale (JTS)	Assistant Director General of Foreign Trade	LEVEL 10 (Rs. 56100 - 177500) in the Pay Matrix	49
7.	Reserve posts at JTS level	---	---	23
Total				191

SCHEDULE – II

[See sub-rule (2) of rule 7]

The direct recruitment to the post of Assistant Director General of Foreign Trade in the Junior Time Scale of the Indian Trade Service (ITS) shall be on the basis of Civil Services Examination conducted by the Commission. The minimum educational qualifications and age limits for direct recruitment shall be as under:—

Educational Qualification. – The educational qualification shall be same as notified, in this behalf by Government of India or Commission for Civil Services examination.

Age-Limit. –The age-limit shall be same as notified in this behalf by Government of India or Commission for Civil Service examination.

Decision as to eligibility. – The Commission shall decide the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be admitted to the examination.

SCHEDULE – III

[see rules 7(2), 7(3) and 7(4)]

Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to Duty Posts included in the various Grades of the Indian Trade Service:

Sl. No.	Grade (Duty Post)	Method of recruitment	Field of selection and minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Higher Administrative Grade (HAG) in Level 15 (Rs. 182200 – 224100) in the Pay Matrix. (Senior Development Commissioner, Special Economic Zone)	By promotion on selection basis.	Officers of the Service in the Senior Administrative Grade in Level 14 (Rs. 144200 – 218200) in the Pay Matrix with three years' service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis OR officers of the Indian Trade Service with twenty five years regular service in Group 'A' posts in the Service out of which at least 1 year regular service should be in the Senior Administrative Grade.
2.	Senior Administrative Grade (SAG) in Level 14 (Rs. 144200 – 218200) in the Pay Matrix. (Additional Director General of Foreign Trade/ Development Commissioner Special Economic Zone/ Trade Advisor)	By promotion on selection basis.	Officers of the Service in the Junior Administrative Grade in Level 12 (Rs. 78800 – 209200) in the Pay Matrix with eight years combined service in Junior Administrative Grade and Non-Functional Selection Grade, if any, rendered after appointment thereto on regular basis OR with seventeen years regular service in Group 'A' posts in the Service out of which at least four years regular service should be in the Junior Administrative Grade including Non-Functional Selection Grade.
3.	Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) {JAG (NFSG)} in Level 13 (Rs. 123100 – 215900) in the Pay Matrix. (Joint Director General of Foreign Trade/ Director)	By placement on seniority basis, subject to suitability.	Officers of the Service in the Junior Administrative Grade in Level 12 (Rs. 78800 – 209200) of the Pay Matrix who have entered 14 th year of service on 1 st January of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which the member of the Service was recruited, or the year of inclusion in the select list of Junior Time Scale on promotion.
4.	Junior Administrative Grade (JAG) in Level 12 (Rs. 78800 – 209200) in the Pay Matrix. (Joint Director General of Foreign Trade/Deputy Secretary)	By promotion on selection basis.	Officers of the Service in the Senior Time Scale in Level 11 (Rs. 67700 – 208700) in the Pay Matrix with five years' service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis.
5.	Senior Time Scale (STS) in Level 11 (Rs. 67700 – 208700) in the Pay Matrix. (Deputy Director General of Foreign Trade/ Under Secretary)	By promotion on selection basis .	Officers of the Service in the Junior Time Scale in Level 10 (Rs.56100 – 177500) in the Pay Matrix with four years service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis.
6.	Junior Time Scale (JTS) in Level 10 of the Pay Matrix. (Assistant Director General of Foreign Trade)	(i) 50% by direct recruitment.	Through Civil Services Examination conducted by the Commission.
		(ii) 50% by promotion on selection basis.	Foreign Trade Development Officers in Level 7 (Rs. 44900 – 142400) in the Pay Matrix with three years' service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

SCHEDULE-IV

[See rules 2 (d), 2 (e), 2 (f), 7(3), 7(4) and 10(3) (ii)]

Composition of Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee and Screening Committee for considering cases of promotion, confirmation, placement to Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) and grant of Non-Functional Upgradation for various posts in the Indian Trade Service.

Sl. No.	Grade/Post/Level	Composition of the Departmental Promotion Committee / Screening Committee [for placement to Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade)]	Composition of the Departmental Confirmation Committee	Composition of the Screening Committee for grant of Non-Functional Upgradation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Higher Administrative Grade (HAG) in Level 15 (Rs. 182200 – 224100) in the Pay Matrix. (Senior Development Commissioner, Special Economic Zone)	(1) Chairman/Member, Union Public Service Commission – Chairman ; (2) Secretary, Department of Commerce – Member ; (3) Director General of Foreign Trade – Member .	Not applicable.	(1) Secretary, Department of Commerce – Chairman ; (2) Additional Secretary, Department of Commerce – Member ; (3) Director General of Foreign Trade – Member .
2.	Senior Administrative Grade (SAG) in Level 14 (Rs. 144200 – 218200) in the Pay Matrix. (Additional Director General of Foreign Trade/ Development Commissioner/ Trade Advisor)	(1) Chairman/Member, Union Public Service Commission – Chairman ; (2) Secretary, Department of Commerce – Member ; (3) Director General of Foreign Trade – Member .	Not applicable.	(1) Secretary, Department of Commerce – Chairman ; (2) Additional Secretary, Department of Commerce – Member ; (3) Director General of Foreign Trade – Member .
3.	Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) [JAG (NFSG)] in Level 13 (Rs. 123100 – 215900) of the Pay Matrix. (Joint Director General of Foreign Trade/ Director)	(1) Director General of Foreign Trade – Chairman ; (2) Joint Secretary, Department of Personnel and Training – Member ; (3) Additional Director General of Foreign Trade (Administration), DGFT Headquarters – Member .	Not applicable	(1) Secretary, Department of Commerce – Chairman ; (2) Director General of Foreign Trade – Member ; (3) Additional Director General of Foreign Trade (Administration), DGFT Headquarters – Member .
4.	Junior Administrative Grade (JAG) in Level 12 (Rs. 78800 – 209200) in the Pay Matrix. (Joint Director General of Foreign Trade/ Deputy Secretary)	(1) Chairman/Member, Union Public Service Commission – Chairman ; (2) Director General of Foreign Trade – Member ; (3) Additional Director General of Foreign Trade (Administration), DGFT Headquarters – Member ; (4) Joint Secretary (Administration), Department of Commerce – Member .	Not applicable	(1) Secretary, Department of Commerce – Chairman ; (2) Director General of Foreign Trade – Member ; (3) Additional Director General of Foreign Trade (Administration), DGFT Headquarters – Member .

5.	Senior Time Scale (STS) in Level 11 (Rs. 67700 – 208700) in the Pay Matrix. (Deputy Director General of Foreign Trade/ Under Secretary)	(1) Director General of Foreign Trade (DGFT) – Chairman ; (2) Additional Director General of Foreign Trade (Administration), DGFT Headquarters – Member ; (3) Director(Administration), Department of Commerce – Member ; (4) Joint Director General of Foreign Trade (Administration), DGFT Headquarter– Member .	Not applicable	(1) Secretary, Department of Commerce – Chairman ; (2) Director General of Foreign Trade – Member ; (3) Additional Director General of Foreign Trade (Administration), DGFT Headquarters – Member .
6.	Junior Time Scale (JTS) in Level 10 (Rs. 56100 – 177500) in the Pay Matrix. (Assistant Director General of Foreign Trade)	(1) Chairman/Member, Union Public Service Commission – Chairman ; (2) Joint Secretary (Administration), Department of Commerce – Member ; (3) Additional Director General of Foreign Trade (Administration), DGFT Headquarter – Member ; (4) Joint Director General of Foreign Trade (Administration), DGFT Headquarter – Member .	(1) Director General of Foreign Trade– Chairman ; (2.) Additional Director General of Foreign Trade (Administration), DGFT Headquarters– Member ; (3) Joint Director General of Foreign Trade (Administration), DGFT Headquarters– Member ; (4) Director/ Deputy Secretary, Department of Commerce– Member .	Not Applicable.

[F.No. A-12018/1/2016/HRD-I]

ARVIND SHUKLA, Dy. Director General of Foreign Trade